रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2017/माघ 3, 1938
No. 27] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2017/MAGHA 3, 1938

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुड़गांव, 19 अक्टूबर, 2016

गोवा और संघ शासित क्षेत्र का संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी के अन्य
व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 में संशोधन

सं.जेईआरसी: 5/2009.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2003 का 36) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इसके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशनों के बाद, गोवा और संघ शासित क्षेत्रों का संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग "गोवा और संघ शासित क्षेत्र का संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी का उपचार) विनियम, 2009" (इसके बाद से मूल विनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाये जाते हैं

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-क्षेत्र और प्रारंभण:

(i) इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, पुड्डुचेरी तथा लक्षद्वीप में सभी अंतर-राज्य/आंतरिक-संघ शासित क्षेत्र ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।

(iii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

संशोधन निम्नानुसार हैं:-

1. प्रधान विनियमों के विनियम 1 में संशोधन

खंड (i) में संशोधन करके उसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

(i) इन विनियमों को गोवा और संघ शासित क्षेत्रों का संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों तथा वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय से राजस्व का उपचार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

2. मूल विनियम के विनियम 2 में संशोधन

i. उप-खंड (क) के बाद खंड (i) के अंतर्गत निम्नलिखित को जोड़ें तथा इसे उप-खंड (ख) का नाम दें:

(ख) "**परिसंपत्तियों**" का अर्थ उन परिसंपत्तियों से है जो आयोग के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वितरण प्रणाली या अंतर-राज्य/आंतरिक – संघ शासित क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली का भाग हैं।

ii. उप-खंड (ख) से (च) तक की संख्या को क्रमश: (ग) से (छ) के रूप में पुन: लिखा जाएगा।

iii. उप-खंड (घ) - पुन: लिखी गई संख्या के अंतर्गत, 'शुरू करना' शब्द के बाद "आंतरिक राज्य/अंतर-संघ शासित क्षेत्र" शब्दों को जोड़ें। इसी प्रकार, उप-खंड (च) 'शुरू करना' शब्द के बाद "आंतरिक-राज्य/अंतर-संघ शासित क्षेत्र" शब्दों को जोड़ें।

iv. उप-खंड (छ) - पुन: लिखी गई संख्या को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"अन्य व्यवसाय" का अर्थ लाइसेंसधारियों द्वारा उनकी परिसंपत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिए किए जाने वाले लाइसेंस-प्राप्त वितरण व्यवसाय और अंतर-राज्य/आंतरिक–संघ राज्य क्षेत्र ट्रांसमिशन के अलावा किसी व्यवसाय से है।

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन

अन्य व्यवसाय की सूचना

(i) विनियम 3 के खंड (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"अपनी परिसंपत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिए अन्य व्यवसाय करने का प्रस्ताव करने वाले लाइसेंसधारी/मानित लाइसेंसधारी ऐसा अन्य व्यवसाय करने के अपने आशय के बारे में आयोग को लिखित में पूर्व सूचना देगा।

उपर्युक्त अनुसार सूचना देते समय, लाइसेंसधारी विधिवत शपथ-पत्र द्वारा निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करेगा:-

(ii) अन्य व्यवसाय शब्द के बाद उप-खंड (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित को जोड़ें:

"और अन्य व्यवसाय के समर्थन में लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय में प्रस्तावित पूंजी निवेश।"

(iii) उप-खंड (घ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

"लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों और सुविधाओं का प्रयोग अन्य व्यवसाय के लिए किस प्रकार से किया जाएगा तथा औचित्य, जिसके आधार पर इसे लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय के कार्यकलापों को प्रभावित किए बिना इष्टतम ढंग से किया जाएगा।"

(iv) खंड (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

(3) आयोग को लिखित में पूर्व सूचना देने में असफल रहने पर आयोग द्वारा दण्ड लगाया जाएगा, जिसे अन्य व्यवसाय के वार्षिक राजस्व तक बढ़ाया जा सकता है।

4. मूल विनियम के विनियम 4 में संशोधन

लेखा:

विनियम 4 के खंड (1) (क) और (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

(क) राजस्व, लागत, परिसंपत्तियों, देनदारियों, रिजर्व, और प्रावधानों की मात्रा जैसे लेखांकन रिकार्डों को अलग से रखें, जिन्हें अन्य व्यवसाय से लिया गया है **तथा** विभिन्न व्यवसाय कार्यकलापों के बीच विभाजन या आवंटन द्वारा परिवर्तन या उसके निर्धारण हेतु आधार का विवरण भी रखें।

(ग) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा-परीक्षकों द्वारा इस प्रकार तैयार की गई एक रिपोर्ट लेखांकन विवरणों के संबंध में उपलब्ध कराएं, तथा बताएं कि क्या उनके विचार में विवरणों को उचित प्रकार से तैयार किया गया है तथा व्यवसाय जिससे विवरण संबंधित है, के राजस्व, लागत, परिसंपत्तयों, देनदारियों, रिजर्व तथा प्रावधानों का एक सही और निष्पक्ष मत प्रस्तुत किया गया है।

5. मूल विनियम के विनियम 5 में संशोधन वित्तीय प्रभाव:

विनियम 5 के खंड (3) और (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

(3) संबंधित राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार, अन्य व्यवसाय के राजस्व के तर्कसंगत अनुपात को लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय के साथ बांटा जाएगा, जो मामला दर मामला आधार पर अन्य व्यवसाय के लिए उपयोग किए गए/किए जा रहे लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों और सुविधाओं की आवंटन योग्य लागत या बाजार मूल्य को प्रदर्शित कर सके।

लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय के साथ साझा किए जाने वाले अन्य व्यवसाय के राजस्व के अनुपात के निर्धारण में, आयोग लाइसेंसधारी की प्रस्तुति पर विचार करेगा लेकिन वह कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण या पद्धति का प्रयोग कर सकता है जैसा वह उपयुक्त समझेगा।

बशर्ते कि यदि इसे आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, तो वह मामला दर मामला आधार की बजाय पूर्ण रूप से अन्य व्यवसाय के वर्ग के संबंध में लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय के साथ साझा किए जाने वाले राजस्व के अनुपात का निर्धारण किया जा सकता है।

(ii) विनियम 5 के खंड (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

(4) लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय के साथ साझा किए जाने वाले अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्वों के अनुपात का उपयोग अंतर-राज्य/आंतरिक-संघ शासित क्षेत्र ट्रांसमिशन/वितरण लाइसेंसधारियों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा ट्रांसमिशन के लिए अपने प्रभारों को घटाने और बिजली की व्हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

6. मूल विनियम के विनियम 6 में संशोधन

कमिशन का अधिकार:

(i) विनियम 6 के खंड (1) और (1)(ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(1) आयोग इन विनियमों के अनुपालन का पता लगाने की दृष्टि से लाइसेंसधारी के अन्य व्यवसाय हेतु प्रयुक्त लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय की परिसंपत्तियों और सुविधाओं के लिए किसी भी समय प्रत्यक्ष निवेश कर सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:-

(1) (ख) क्या अन्य वृयवसाय के राजस्व की लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय के साथ साझा किए जाने वाले सकल कारोबार और इसके अनुपात का पता लगाने की दृष्टि से गणना की गई है।

(ii) खंड (2) के बाद, एक नए खंड (3) को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

"(3) आयोग खंड (2) के अंतर्गत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय के लाइसेंसधारी और लाभार्थियों को सुनने का अवसर उपलब्ध कराने के बाद, ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा कि आयोग अन्य व्यवसायों द्वारा साझा की जाने वाली लागत और व्यय के संबंध में उपयुक्त समझता है जिसकी गणना अंतर-राज्य/आंतरिक-संघ शासित क्षेत्र ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ट्रांसमिशन के प्रभारों को घटाने तथा बिजली की व्हीलिंग के लिए अतिरिक्त राजस्व हेतु की जाएगी।"

7. मूल विनियम के विनियम 7 में संशोधन आदेश और निर्देश जारी करना:

मूल विनियम के विनियम 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों, नियमों तथा इन विनियमों के अध्यधीन आयोग, समय-समय पर आदेश और निर्देश जारी करेगा जैसा वह इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक समझेगा।

8. मूल विनियम में नए विनियम 8 को जोड़ना

कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां:

यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा कार्य करने या शुरू करने या लाइसेंसधारी को कार्य करने या शुरू करने का निदेश दे सकता है; जो आयोग के मतानुसार में कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्य करने या शुरू करने के लिए आवश्यक या अनिवार्य है।"

9. इसके बाद, मूल विनियम के विनियम 8 की संख्या को विनियम 9 के रूप में पुन: लिखा जाता है।

कीर्ति तिवारी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./377/16]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For Goa & Union Territories)

NOTIFICATION

Gurgaon, the 19th October, 2016

AMENDMENTS IN JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR GOA & UNION TERRITORIES (TREATMENT OF OTHER BUSINESSES OF TRANSMISSION LICENSEES AND DISTRIBUTION LICENSEES) REGULATIONS, 2009

No. JERC :5/2009.—In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa and Union Territories hereby makes the following Regulations to amend the "Joint Electricity Regulatory Commission for Goa and Union Territories (Treatment of other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009" (hereinafter referred to as the Principal Regulations).

Short Title, Extent and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Treatment of Revenue from other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) (First Amendment) Regulations, 2016.

(ii) These Regulations shall be applicable to all intra-state/intra-UT Transmission Licensees and the Distribution Licensees in the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Puducherry and Lakshadweep.

(iii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendments are as follows:-

1. Amendment of Regulation 1 of the Principal Regulations.

Clauses (i) is amended to read as follows:

(i) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Revenue from other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) (First Amendment) Regulations, 2016.

2. Amendment of Regulation 2 of the Principal Regulations.

i. Under Clause (i), after sub-clause (a), insert the following and mark it as sub- clause (b):

(b) "**Assets**" means any assets forming part of the distribution system or intra-state/intra - UT transmission system under the regulatory jurisdiction of the Commission.

ii. Sub-clauses (b) to (f) shall be re-numbered as (c) to (g) in seriatim.

iii. Under sub-clause (d) – re-numbered, after the word 'undertake', insert the words "intra-State/intra-UT". Similarly sub-clause (f) - re-numbered, after the word 'undertake; insert the words "intra-State / intra- UT".

iv. Sub-clause (g) – re-numbered is substituted by the following:

"Other Business" means any business other than the Licensed Business of Distribution and intra-State / intra – UT transmission carried out by the licensees for optimum utilization of their assets.

3. Amendment of Regulation 3 of the Principal Regulations

Intimation of other business

(i) Clause (1) of Regulation 3 is substituted as follows:

"The licensee/deemed licensee proposing to undertake Other Business for optimum utilization of its assets shall give prior intimation, in writing, to the Commission of its intention to undertake such other business.

While giving intimation as aforesaid, the licensee shall furnish, duly supported by an affidavit, the following details:-

(ii) Under sub-clause (b), after the words Other Business, insert the following:

"and the proposed Capital Investment in the Licensed Business for supporting the other business".

(iii) Sub-clause (d) is substituted by the following:

"the manner in which the assets and facilities of the Licensed Business shall be used for other business and justification that it will be used in an optimum manner without affecting the activities of the Licensed Business"

(iv) Clause (3) is substituted as follows:

(3) Failure to submit prior intimation in writing to the Commission will invite a penalty to be determined by the Commission which may extend up to the annual revenue of Other Business.

4. Amendment of Regulation 4 of the Principal Regulation Accounts:

Clause (1) (a) & (c) of Regulation 4 is substituted as follows:

(a) Maintain separate accounting records such as amount of revenue, costs, assets, liabilities, reserves, or provisions which have been charged from or to the Other Business **and also** maintain a description of the basis for the change or its determination by apportionment or allocation between the various business activities.

(c) Provide in respect of the accounting statements so prepared, a report by the Auditors in respect of each financial year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true and fair view of the revenue, costs, assets, liabilities, reserves and provisions attributable to the business to which the statements relate;

5. Amendment of Regulation 5 of the Principal Regulation Financial implications:

(i) Clause (3) & (4) of Regulation 5 is substituted as follows:

(3) A reasonable proportion of the revenues of the Other Business, as may be specified by the concerned State Commission, shall be shared with the licensed business which may reflect the allocable costs or market value of the assets and facilities of the licensed business utilized / being utilized for other business on a case to case basis.

In determination of a proportion of the revenues of the Other Business to be shared with the Licensed business, the Commission will consider the submissions of the licensee but may use any alternate approach or methodology that it considers appropriate.

Provided that as and if deemed appropriate by the Commission it may determine the proportion of revenues to be shared with the licensed business in respect of a class of other businesses as a whole, instead of on a case to case basis.

(ii) Clause (5) of Regulation 5 is substituted as follows:

(4) The proportion of the revenues derived from other business to be shared with the licensed business shall be utilized for reducing its charges for transmission and wheeling / wheeling of electricity by the Intra-State/Intra-UT Transmission / Distribution Licensees as the case may be.

6. Amendment of Regulation 6 of the Principal Regulation Powers of the Commission:

(i) Clause (1) & (1) (b) of Regulation 6 is substituted as follows:

(1) The Commission may at any time direct investigation of the assets and facilities of the Licensed Business used for Other Business of the Licensee with a view to ascertain adherence to these Regulations, covering inter alia:

(1) (b) whether the revenue of the Other Business are properly accounted for to determine the gross turnover and its proportion to be shared with the licensed business.

(ii) After clause (2), a new clause (3) is inserted as under:

"(3) The Commission, may after considering the report under clause (2) and after providing an opportunity of hearing to the Licensee and beneficiaries of the licensed businesses pass such orders as the Commission considers appropriate in regard to the costs and expenses to be shared by the Other Businesses and proportion of turnover of the Other Businesses to be accounted for as additional revenue for reducing charges for transmission and wheeling / wheeling of the electricity by the Intra-State/Intra-UT Transmission Licensee and the Distribution Licensee".

7. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulation

Issue of Orders and directions:

Regulation 7 of the Principal Regulation is substituted as follows:

Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003, the Rules and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and directions as it may consider necessary to give effect to the provisions of these regulations.

8. Insertion of a new Regulation 8 in the Principal Regulations

8. Power to remove difficulties:

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the licensee to do or undertake things, which in the opinion of the Commission are necessary or expedient to do or undertake for removing the difficulties."

9. Following this, Regulation 8 of the Principal Regulations stands re-numbered as Regulation 9.

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./377/16]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.28 11:31:59 +05'30'